

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

8 SEP 2017

क्रमांक प. 22(5)न्याय/2016

जयपुर, दिनांक

::आज्ञा::

राजस्थान विधि सेवा संवर्ग के निम्नांकित कार्मिक को उनके प्रार्थना पत्र के क्रम में उनके नाम के सम्मुख अंकित प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने की अनुमति नियमानुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ एतद्वारा प्रदान की जाती है:-

क्र. सं.	नाम (सर्व श्री/सुश्री/श्रीमती/डॉ.)	विभाग का नाम	परीक्षा जिसकी अनुमति चाही है
1.	ज्योति शर्मा कनिष्ठ विधि अधिकारी	महानिदेशक, नागरिक सुरक्षा एवं गृह विभाग, जयपुर	माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा आयोजित सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 परीक्षा-2017
2.	हिमांशु शर्मा, कनिष्ठ विधि अधिकारी	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग सचिवालय, जयपुर	मोहन लाल सुखाडिया विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर (विधि) की परीक्षा
3.	माधव सिंह राठौड़ कनिष्ठ विधि अधिकारी	अतिरिक्त मुख्य अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर	उच्च अध्ययन [एम.ए.(पूर्वाद्ध) परीक्षा] हेतु

शर्त:-

1. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृति नहीं किया जायेगा।
2. परीक्षा दिवस के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
3. उपरोक्त सभी कार्मिक वर्तमान में इस विभाग के अधीनस्थ कनिष्ठ विधि अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं तथा इनका चयन उक्त परीक्षा में होने पर इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं होगी।

(डॉ. कैलाश चन्द्र अटवासिया)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संबंधित कर्मचारी/अधिकारी।
2. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
3. संबंधित विभाग/रक्षित पत्रावली

संयुक्त शासन सचिव